

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)  
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,  
लखनऊ।

पत्रांक 499 के.ए. - ७०अ विकास/०५-सेतु/2016


दिनांक 06/12/2016

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता  
लो०नि०वि०, उ०प्र०।

प्रदेश में विभिन्न नदियों पर वर्तमान में जो पान्दून सेतु के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया जाना है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कितने स्थलों पर पान्दून सेतु के स्थान पर पक्के पुलों का निर्माण कराया जा सकता है।

अतः आप निम्नानुसार तत्काल सूचना दि० 08.12.2016 के अपरान्ह तक संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा में मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह सूचना संकलित कर दि० 10.12.2016 को सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, श्री आमोद कुमार जी को प्रेषित की जानी है। सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का नाम सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

संलग्नक: प्रारूप।

  
10/12/16  
(वी० के० सिंह)  
प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (मु०-1)/(सेतु), लो०नि०वि०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: प्रारूप।

प्रमुख अभियन्ता (विकास)  
विभागाध्यक्ष

